

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 608/16

संस्थापन दिनांक:-29/09/16

फाईलिंग नं. 11/2017

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,

आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. नंदू उर्फ मल्लू पिता बिरजू गोंड, उम्र 55 वर्ष
  2. संजलू पिता लोटन उर्फ बिरजू गोंड, उम्र 50 वर्ष
- दोनों निवासी ग्राम लादी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.07.2016 को समय शाम करीब 09:00 बजे, ग्राम लादी स्थित अपने घर में वन्य प्राणी जंगली झाड़ कुत्ता (सीवेट) जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से कुत्तो के सहारे घेरकर लठ से मारकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि युवराज जाधव वनपाल को दिनांक 24.07.2016 को रात्रि करीब 9 बजे सूचना मिली कि नंदू पिता बिरजू एवं उसका साथी संजलू पिता लोटन मिलकर नंदू के घर जंगली झाड़ कुत्ता शिकार करके लाये है और नंदू के घर में भूँजकर काटने की तैयार कर रहे हैं। जिस पर वह मय स्टाफ के नंदू के घर पहुंचे जहां अभियुक्तगण वन्य प्राणी को लकड़ी के उपर रखकर काटते हुए मौके पर पाये गये। अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे जंगली झाड़ कुत्ता को जंगल में

मवेशी चराते समय दिखने पर कुत्ते के सहारे घेरकर लठ से मार दिया था जिसे अंधेरा होने पर घर लेकर आये और भूँजकर बराबर हिस्से बनाकर पकाने के लिए काट रहे थे। मौके पर जंगली झाड़ कुत्ते के चारो पैर एवं पूँछ कटी पायी थी। वन्य प्राणी का परीक्षण करने पर उसकी पहचान मादा जो कि सीवेट जैसा पाया जिसे स्थानीय भाषा में जंगली झाड़ कुत्ता कहा जाता है। मौके से भुंजा एवं कटा हुआ वन्य प्राणी तथा कुल्हाड़ी, काटने में उपयोग में लायी गयी लकड़ी, खाद की खाली बोरी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। तत्पश्चात दिनांक 24.07.2016 को वन अपराध प्रकरण क्र. 563/39 पंजीबद्ध किया गया। मौके का नजरी नक्शा, पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कथन लेख किये गये। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर वन्य प्राणी जंगली झाड़ कुत्ता (सीवेट) जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से कुत्तो के सहारे घेरकर लठ से मारकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का निराकरण**

5 युवराज जाधव (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 24.07.2016 को सर्किल लादी में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को यह सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त नंदू एवं संजलू झाड़ कुत्ते का शिकार करके उसे भूँजकर काटने की तैयारी में है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि वह सूचना की तत्पश्चात हेतु स्टाफ सुरेंद्रसिंह, ब्रजेश एवं चौकीदार शिवपाल तथा बाबूलाल के साथ अभियुक्त के घर पहुंचे जहां पर अभियुक्तगण

वन्य प्राणी जंगली झाड़ कुत्ता को लकड़ी के उपर रखकर काटते हुए मौके पर पाये गये। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्तगण ने यह बताया कि उन्होंने जंगली झाड़ कुत्ते को कुत्तों के सहारे और लठ से मारकर शिकार करके अंधेरा होने पर घर लेकर आये हैं और बराबर हिस्सा बना रहे हैं। सुरेंद्र (अ.सा.-1) ने साक्षी के कथनों का समर्थन कर यह बताया है कि दिनांक 24.07.2016 को वन परिक्षेत्र आमला में लादी बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि डिप्टी रेंजर युवराज को सूचना मिलने पर सभी लोग अभियुक्त नंदू के घर गये थे जहां पर अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते को पहले से भुंजकर ले आये थे और जब सभी लोग पहुंचे तब वे काट रहे थे।

6 साक्षी ब्रजेश (अ.सा.-4) ने दिनांक 24.07.2016 को बीट बीसी घाट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए डिप्टी रेंजर को उक्त दिनांक को सूचना मिलने पर सूचना की तस्दीक हेतु अभियुक्तगण के घर जाना बताया है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब वह डिप्टी रेंजर एवं अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा तब अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते को काट रहे थे। शिवपाल (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह वन विभाग के स्टाफ के साथ घाटना दिनांक को अभियुक्तगण के घर पर पहुंचा था। अभियुक्तगण उनके घर के सामने जंगली कुत्ते को पकाकर काट रहे थे। बाबूलाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे नाकेदार साहब ने बुलाया था और डिप्टी साहब के पास ले गये थे फिर वह वन स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा था जहां पर अभियुक्तगण जंगली झाड़ कुत्ता काटते हुए मिले थे।

7 युवराज जाधव (अ.सा.-5) एवं सुरेंद्र सिंह (अ.सा.-1) तथा शिवपाल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर झाड़ कुत्ते को काटने के लिए उपयोग में लाये गये हथियार कुल्हाड़ी, बेसा, लकड़ी का टुकड़ा, खाद की खाली बोरी जप्त कर जप्ती सूची (प्रदर्श पी-3) तैयार की गयी थी। मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-1) एवं अभियुक्त के घर का जप्ती नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया था। साक्षीगण ने आगे यह बताया है कि उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा घटना स्थल का नक्शा एवं मौका पंचनामा तैयार किया गया था जो कि क्रमशः प्रदर्श पी-6 एवं 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण के बयान प्रदर्श पी-14 एवं 15 तैयार किये गये तथा गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-7 एवं 8 तैयार किया गया था। जप्तशुदा प्राणी को नष्ट करने के उपरान्त पंचनामा (प्रदर्श पी-9) तैयार किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये।

8 बाबूलाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर उसके समक्ष मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-1), जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2), जप्ती सूची (प्रदर्श पी-3), घटना स्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-5), गिरफ्तारी पंचनामा

(प्रदर्श पी-7) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। ब्रजेश (अ.सा. -4) ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्तगण के घर से एक बोरा, कुल्हाड़ी, लकड़ी जप्त की गयी थी। उसके बाद जहां पर शिकार हुआ था उस स्थान पर वह डिप्टी साहब के साथ गया था। मौके पर बाल पड़े हुए थे, खून बिखरा हुआ था जिसका नक्शा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया था। अभियुक्तगण को उसके समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-7) एवं (प्रदर्श पी-8) तैयार किया गया था।

9 युवराज जाधव (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण को शिकार करते नहीं देखा था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि कुत्तों ने झाड़ कुत्ते को घेरकर शिकार किया है। इस सुझाव को सही बताया है कि जांच के दौरान उसके द्वारा कोई ऐसी लाठी जप्त नहीं की गयी है जिससे झाड़ कुत्ते का शिकार किया गया हो। मृत प्राणी के शरीर के विभिन्न अंग पैर और पूंछ जोड़कर यह आंकलन लगाया गया कि वह झाड़ कुत्ता है। इस सुझाव को गलत बताया है कि कुल्हाड़ी, लकड़ी और बोरी पर कोई खून के निशान नहीं पाये गये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 09 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि वन विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी कि अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते का शिकार कर रहे हैं। इस सुझाव को सही बताया है कि ऐसी सूचना मिली थी कि मृत प्राणी को अभियुक्तगण घर ले जाकर काट रहे हैं। सुरेंद्रसिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुत्तों ने शिकार किया है। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि झाड़ कुत्ता भूँजकर पकाया जा रहा है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जब उनके द्वारा जानवर को देखा गया उस समय प्रजाति पहचान नहीं आ रही थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मृत प्राणी की पहचान नहीं हो पायी थी। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि अभियुक्तगण ने ही बताया था कि यह झाड़ कुत्ता है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्त सामान की जो सूची अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है उस सामान को किस दिनांक को कहां से और किस समय जप्त किया गया था इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जप्ती हुई कुल्हाड़ी में कोई खून नहीं था और मृत प्राणी का मांस सड़ चुका था उससे बदबू आ रही थी।

10 शिवपाल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि झाड़ कुत्ते का शिकार कैसे हुआ था इसकी उसे जानकारी नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी उसके घर आये थे और साथ लेकर गये थे। अभियुक्तगण को झाड़

कुत्ता काटते उसने नहीं देखा। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण ने वन विभाग के कर्मचारियों को बताया था कि झाड़ कुत्ते को गांव के कुत्तों ने पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते को काट रहे थे और उन लोगों ने यह बताया था कि हम लोग इसे लेकर आये हैं। आगे साक्षी ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्तगण ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बाबूलाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने झाड़ कुत्ते का शिकार होते नहीं देखा था। जैसा-जैसा वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया था उसके द्वारा वैसा-वैसा बताया गया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उसने कुछ नहीं देखा था। ब्रजेश (अ. सा.-4) जो कि घटना के समय वन रक्षक के पद पर था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस सुझाव को सही बताया है कि झाड़ कुत्ते को अन्य कुत्तों ने घायल कर शिकार किया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मृत प्राणी झाड़ कुत्ता है यह अभियुक्तगण ने ही बताया था। झाड़ कुत्ते को उसने भूँजते हुए नहीं देखा था न ही काटते हुए देखा था। यह सब कार्यवाही वन विभाग के किसी भी कर्मचारी ने नहीं देखी थी। वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर उसके द्वारा कागज पर हस्ताक्षर किये गये।

11 महेश कुमार अहिरवार (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि दिनांक 25.07.2016 को परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियुक्तगण के बयान प्रदर्श पी-14 एवं 15 उसके समक्ष दर्ज किये गये। तत्पश्चात परिवाद उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं।

12 साक्षी शिवपाल (अ.सा.-2) जो कि स्वतंत्र साक्षी है परंतु यह साक्षी अपने कथनों पर बिलकुल भी स्थिर नहीं है। साक्षी को सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है उसने अभियुक्तगण को झाड़ कुत्ता काटते नहीं देखा परंतु तत्पश्चात पुनः से साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि ज वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते को काट रहे थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने वन विभाग के कर्मचारियों को यह बताया था कि जंगली झाड़ कुत्ते को गांव के कुत्तों ने पकड़ा था परंतु तत्पश्चात पुनः से इस साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसके सामने अभियुक्तगण ने वन विभाग के कर्मचारियों को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। बाबूलाल (अ.सा.-3) यह भी स्वतंत्र साक्षी है। यह साक्षी भी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी। उसे कोई जानकारी भी नहीं है। इस

प्रकार उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

13 युवराज जाधव (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने यह बताया था कि उन्होंने कुत्ते के सहारे और लठ से झाड़ कुत्ते का शिकार किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने लठ की जप्ती किये जाने से इनकार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि यह बात सामने आयी थी कि कुत्तों ने झाड़ कुत्ते का शिकार किया है। ऐसी भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि झाड़ कुत्ते का शिकार किये जाने वाले कुत्ते अभियुक्तगण के पालतू कुत्ते हैं। साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्तगण झाड़ कुत्ते को काटते हुए मिले थे परंतु साक्षी ने जप्त किये गये कुल्हाड़ी, जिस लकड़ी पर झाड़ कुत्ते को काटा जा रहा था एवं जिस बोरी में झाड़ कुत्ते के कटे हुए टुकड़े रखे गये उन पर खून के निशान होने का कोई उल्लेख न किया जाना बताया है। जप्ती सूची (प्रदर्श पी-3) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उक्त सूची किस दिनांक को, किस जगह पर तैयार की गयी थी। ब्रजेश (अ.सा.-4) जो कि वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने यह बताया है कि वह डिप्टी साहब के साथ जिस जगह पर शिकार हुआ था वहां गया था, मौके पर बाल पड़े हुए थे, खून बिखरा हुआ था परंतु घटना स्थल पर जानवर के बाल एवं खून के संबंध में कोई भी जांच नहीं की गयी। युवराज जाधव (अ.सा.-5) ने यह भी बताया है कि मृत प्राणी को अभियुक्तगण द्वारा मौके पर काटे जाने की कोई भी फोटोग्राफ उनके द्वारा नहीं लिए गये। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसे इस बात की सूचना मिली थी कि मृत प्राणी को अभियुक्तगण द्वारा घर में ले जाया जा रहा है।

14 सुरेंद्र सिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि झाड़ कुत्ते का कुत्तों के द्वारा शिकार किये जाने की कोई जानकारी नहीं मिली थी। साक्षी ने यह बताया है कि जिस समय उन लोगों ने जानवर को देखा था उसकी प्रजाति पहचान नहीं आ रही थी। अभियुक्तगण ने ही यह बताया था कि झाड़ कुत्ता है। यह भी बताया है कि जो कुल्हाड़ी जप्त की गयी थी उसमें कोई खून नहीं लगा था। जो मांस जप्त किया गया था वह पूरी तरह से सड़ चुका था। साक्षी ने सुझाव दिये जाने पर यह भी बताया है कि अपराध कायमी के पहले ही जप्ती प्रपत्र बना लिया गया था और यदि जप्तीनामा पहले बनाया गया है तो उस पर वन अपराध क्रमांक आना संभव नहीं है। मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-1) भी पहले तैयार कर लिया गया था। इस सुझाव को सही बताया है कि मौका पंचनामा में भी अपराध क्रमांक का उल्लेख है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) एवं मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-1) पर अपराध क्रमांक पहले से लेख है।

15 साक्षी युवराज जाधव (अ.सा.-5) एवं सुरेंद्र सिंह (अ.सा.-1) दोनों ही साक्षी वन अधिकारी/कर्मचारी हैं। घटना के समय दोनों ही साथ थे परंतु

उक्त दोनों साक्षियों के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। साक्षी युवराज ने जप्त किये गये कुल्हाड़ी, लकड़ी एवं खाद की बोरी में खून के निशान न होने से इनकार किया है परंतु साक्षी सुरेंद्रसिंह ने यह बताया है कि कुल्हाड़ी पर कोई खून के निशान नहीं थे, जप्त प्राणी पूरी तरह सड़ चुका था। साक्षी युवराज ने यह बताया है कि ऐसी जानकारी प्राप्त हो गयी थी कि कुत्तों ने झाड़ कुत्ते का शिकार किया है और अभियुक्तगण मृत प्राणी को घर लेकर आ रहे हैं। जबकि साक्षी सुरेंद्रसिंह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि कुत्तों के द्वारा शिकार किये जाने की जानकारी उन्हें प्राप्त हो गयी थी। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि यदि अभियुक्तगण मौके पर जानवर को काटे और काटे गये हथियार एवं इस्तेमाल किये गये उपकरणों पर कोई भी खून का निशान न हो, विवेचक युवराज जाधव के द्वारा जप्तशुदा कुल्हाड़ी पर अंगूली चिह्न विशेषज्ञ से भी जांच नहीं करवायी गयी है। यदि जांच करवायी गयी होती तो यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि उक्त आयुध का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था। अभियोजन कथा अनुसार लाठी से झाड़ कुत्ते का शिकार किया गया परंतु शिकार किये जाने वाले लाठी की कोई जप्ती नहीं की गयी है। जप्तशुदा सामग्री किस स्थान से जप्त की गयी उसका कोई उल्लेख जप्ती सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्ष्य सूची में वन विभाग के द्वारा जिसके द्वारा मृत जानवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गयी थी उसका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया न ही उसे परीक्षित करवाया गया है। स्वयं साक्षी सुरेंद्र ने यह बताया है कि मौके पर जो मांस जप्त हुआ था वह सड़ चुका था। जिस जगह पर शिकार किया गया उस स्थल पर साक्षी ब्रजेश (अ.सा.-4) ने बताया कि जानवर के बाल एवं खून बिखरे मिले थे परंतु ऐसी कोई जप्ती मौके से तैयार नहीं की गयी।

16 जप्तशुदा जानवर का झाड़ कुत्ता (सीवेट) होना जो कि वन्य प्राणी की सूची में आता है इसकी पहचान वन विभाग के द्वारा नहीं की गयी। स्वयं साक्षी युवराज एवं सुरेंद्रसिंह ने यह बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा बताया गया था कि यह झाड़ कुत्ता है। जानवर की पहचान किया जाना संभव नहीं था। अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि मौके पर जानवर को काटा जा रहा था परंतु खून के कोई निशान न अभियुक्तगण के कपड़ों पर न ही हथियार पर मिली और न ही उनकी कोई जांच करायी गयी। जानवर यदि सड़ चुका था तो फिर उसका उपयोग अभियुक्तगण के द्वारा भोजन के रूप में किया जाना कैसे संभव है। जप्तशुदा जानवर की पहचान एवं उसकी मृत्यु का कारण सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही की जाना अभिलेख से प्रकट नहीं हो रहा है। वन विभाग के ही कर्मचारी/अधिकारी/साक्षीगण युवराज, सुरेंद्र एवं ब्रजेश के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। मौका पंचनामा (प्रदर्श पी-1) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा

है कि पीओआर दर्ज करने के पश्चात पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही की गयी है जो कि जप्ती की कार्यवाही को संदिग्ध करता है। उपर्युक्त समस्त परिस्थितियां अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाती हैं, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वन्य प्राणी जंगली झाड़ कुत्ता (सीवेट) जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वन्य प्राणी की श्रेणी में आकर धारा 9 के अंतर्गत जिसका शिकार प्रतिबंधित है, का अवैध रूप से कुत्तो के सहारे छोरकर लठ से मारकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर शिकार किया तथा अपने आधिपत्य में उसका मांस रखा। फलतः अभियुक्तगण नंदू उर्फ मल्लू एवं संजलू को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 39 सहपठित धारा 51 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 प्रकरण में जप्तशुदा मांस न्यायालय के आदेशानुसार नष्ट किया जा चुका है एवं जप्तशुदा कुल्हाड़ी, काटने में उपयोग में लायी गयी लकड़ी, खाद की खाली बोरी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जावे।

20 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)